भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

पोस्ट : ईसीआईएल
हैदराबाद-500 062

"सरकार का प्रयास एक ऐसा कार्यदल तैयार करना है जिसमें लैंगिक संतुलन झलकता हो और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए"

विज्ञापन सं. नाईंस/01/2017

परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत औद्योगिक स्थापना नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में और जर्कोनियम परिसर पलयकायल, तूतीकोरिन जिला, तमिलनाडु निम्नलिखित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र (हैदराबाद) या जर्कोनियम परिसर (पलयकायल, तमिलनाडु) में अथवा भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी अन्य संघटक इकाइयों में तैनात किया जाएगा। पदों का विवरण और इन पदों हेतु विनिर्धारित मानक निम्नानुसार हैं :

पद कूटांक	11701	
पद का नाम	**वैज्ञानिक अधिकारी/सी (मेडिकल-सामान्य ड्यूटी)**	
सेवा का वर्ग	ग्रुप-ए (राजपत्रित) - वैज्ञानिक	
रिक्तियों की संख्या	04- (अनारक्षित)	
वेतन	रु.56,100/- (वेतन मैट्रिक्स के लेवेल 10 के सेल नं.1 मे) + प्रैक्टिसबंदी भत्ता (मूल वेतन का 20%) + केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य सामान्य भत्ते	
पात्रता		
राष्ट्रीयता	अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए	
आयु	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष	
शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव	**शैक्षिक योग्यताएँ**	**अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने के बाद कुल वर्षों का अनुभव**
	एम.बी.बी.एस.	01 वर्ष
	* चयन समिति की संस्तुति पर एक वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के समय अतिरिक्त वेतनवृद्धि देने के लिए विचार किया जा सकता है। * संस्थान में कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।	
नोट	* अनिवार्य इंटर्नशिप की गणना अनुभव के रूप में नहीं की जाएगी। * पदधारी को नाईंस/प.ऊ.वि. की हाउसिंग कॉलोनी में अनिवार्य रूप से रहना होगा। * दिन-रात की पारी में कार्य करने के इच्छुक होने चाहिए (पहली, दूसरी और रात की पाली में)	

चयन प्रक्रियाः
अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में पात्र अभ्यर्थियों का स्क्रीनिंग टेस्ट हैदराबाद और तूतीकोरिन में किया जाएगा ताकि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु अभ्यर्थियों की छंटनी की जा सके। साक्षात्कार हेतु स्थान की सूचना बाद में दी जाएगी। **अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के मात्र प्रदर्शन पर निर्भर होगा।**

<u>आवेदन शुल्क</u> : " भुगतान एवं लेखा अधिकारी, नाईस" के पक्ष में हैदराबाद में आहरित और रु.500/- के डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाए।	अ.जा./अ.ज.जा./ महिला अभ्यर्थियों/ भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों (दिव्यांग) को आवेदन शुल्क से छूट प्राप्त है। इस संबंध में अ.जा./अ.ज.जा. भूतपूर्व सैनिक/ दिव्यांग को प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन प्रस्तुत करते समय संलग्न की जानी चाहिए।

<u>सामान्य अनुदेश</u>

1. सभी पदों के लिए नियुक्ति विभाग द्वारा कराई जाने वाली मेडिकल जाँच के अधीन होगी।

2. केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकायों के अधीन कार्यरत व्यक्तियों को साक्षात्कार के समय "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना होगा।

3. पद के लिए आवेदन करने की तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता रखनी अनिवार्य है।

4. विभागीय अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन करने की अंतिम तिथि तक विभाग में इसी लाइन या सम्बद्ध कैडर में न्यूनतम तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूरी की है तो वे निर्धारित आयु सीमा से अधिकतम 5 वर्षों की छूट प्राप्त करने के हकदार हैं।

5. **भूत-पूर्व सैनिक :**

   भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक यानि वह व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की थल सेना, नौसेना अथवा वायु सेना की नियमित सेवा में योद्धा अथवा अयोद्धा के रूप में किसी भी पद पर कार्य किया हो और

   i) जो ऐसी सेवा से अपनी पेंशन प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत हुआ है। इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपनी पेंशन प्राप्त करने के बाद अपने अनुरोध पर सेवा निवृत हुए हैं/किए गए हैं। (या)
   ii) जो ऐसी सेवा से सेना में सेवा योग्य न रहने/ऐसी परिस्थिति जो उनके नियंत्रण में न हो के वश चिकित्सा आधार पर कार्य मुक्त किए गए हों और उन्हें चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन प्रदान की गई हो।
   iii) वे ऐसी सेवा से उनके अपने अनुरोध के बिना ही स्थापना में स्टाफ कम करने की नीति के परिणामस्वरूप कार्य मुक्त किए गए हों।
   iv) वे ऐसी सेवा से उनके अपने अनुरोध के बिना ही विनियोजन की विशेष अवधि पूरी करने के उपरांत कार्य मुक्त किए गए हों अथवा कदाचार या अयोग्यता के कारण बर्खास्त या कार्यमुक्त किए गए हों और उन्हें ग्रेचुइटी दी गई हो। इसमें प्रादेशिक सेना की निम्नलिखित श्रेणियों के कार्मिक भी शामिल हैं यथा :
      क) लगातार पूर्ण की गई सेवा के लिए पेंशनधारक
      ख) सेना सेवा के कारण हुई विकलांगता के लिए पेंशन
      ग) वीरता पुरस्कार विजेता

6. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ उठा कर केंद्र सरकार के समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पदों पर नियमित आधार पर रोजगार प्राप्त कर लिया है वे पुन: रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए **हकदार नहीं** है।

7. दिनांक 1/1/1980 से 31/12/1989 तक की अवधि के दौरान आमतौर पर कश्मीर संभाग के जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे सभी व्यक्ति अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पाने के हकदार होंगे बशर्ते छूट किसी परीक्षा में भाग लेने के लिए संबंधित नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय अधिकतम अवसरों की संख्या के अनुसार हो।

   आवास के प्रमाण के संबंध में प्रमाण-पत्र कोई व्यक्ति जो बिंदु संख्या 9 के नियम-3 के अंतर्गत आयु सीमा में ग्राह्य छूट का लाभ उठाना चाहता है उसे निम्नलिखित प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा :

   क) कश्मीर सम्भाग के जिला मजिस्ट्रेट जिसके अधिकार क्षेत्र में वह साधारणतया निवास किया हो या

ख) इस कार्य के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा पदस्थापित कोई अन्य प्राधिकारी जो यह प्रमाणित करें कि दिनांक 1/1/1980 से 31/12/1989 की अवधि के दौरान उसने (अभ्यर्थी ने) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर सम्भाग में साधारणतया निवास किया था।

ग) ऐसे व्यक्ति के बच्चों/परिवार के सदस्यों को जिनकी वर्ष 1984 के दंगे में मृत्यु हुई थी, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

8. विज्ञापन में निर्धारित अनुभव की अवधि की गणना आवेदन प्राप्त करने की अंतिम अवधि दिनांक 12/01/2018 तक की जाएगी।

9. चयनित अभ्यथियों की तैनाती सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार से नाईस (हैदराबाद), तेलंगाना जर्कोनियम परिसर (पलयकालय), तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार की जाएगी। उन्हें भारत के किसी भी भाग में परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में भेजा जा सकता है।

10. **आयु** : आयु की गणना इस विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक की जाएगी।

11. ऐसे आवेदन जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते होंगे, किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए नहीं चुने गए किसी भी अभ्यर्थी से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

12. अभ्यथियों को उनके आवेदन-पत्र में दी गई सूचना के आधार पर परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। सभी अभ्यथियों को परामर्श दिया जाता है कि किसी भी पद के लिए आवेदन देने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पात्रता के सभी मानदंड पूरे करते हैं। आवेदन-पत्र भरने के दिन अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की आवश्यक शैक्षिक/तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। उन्हे कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के दिन उनके आवेदन पत्र की प्रति के साथ आवश्यक योग्यता के समर्थन के लिए प्रमाणपत्रों, मार्कशीटों की प्रमाणित प्रतियों सहित सत्यापन के लिए उनके मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जो अभ्यर्थी पात्रता के सभी मानदंड पूरे करेंगे उन्हें कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

13. नियुक्ति के उपरांत वे भारत सरकार,वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की अधिसूचना सं. 5/7/2003-ईसीबी एवं पीआर दिनांक 22.12.2003 के अंतर्गत लागू नई अंशदायी पेंशन योजना से शासित होंगे।

14. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे सूचनाएं सही भरें। गलत सूचना उन्हें लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए अयोग्य कर देगी।

15. ऊपर दर्शायी गई रिक्तियाँ अनंतिम हैं और ये कम या ज्यादा हो सकती हैं।

16. नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र बिना कोई कारण बताए सभी पदों को भरने या उनकी संख्या में परिवर्तन करने या फिर भर्ती की सम्पूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार रखता है।

17. **<u>यात्रा भत्ता</u>** :

अ.जा./अ.ज.जा. के बेरोजगार अभ्यर्थी जिन्हें चयन परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा उन्हें नियमानुसार लघुतम मार्ग से उनके सामान्य निवास से परीक्षा केंद्र तक जाने और वापस आने की यात्रा के लिए रेलवे के द्वितीय श्रेणी (सामान्य) के सिंगल किराए के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके लिए उन्हें एमपी/एमएलए/राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया बेरोजगार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि रियायती टिकट उपलब्ध हैं तो वापसी यात्रा की प्रतिपूर्ति रियायती वापसी किराया के हिसाब से ही की जाएगी। अभ्यथियों से अनुरोध है कि अपने दावे वेबसाइट में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में भर कर टिकटों तथा बेरोजगार प्रमाण-पत्र के साथ प्रतिपूर्ति हेतु परीक्षा स्थल पर प्रस्तुत करें।

<u>आवेदन कैसे करें</u>

1. अभ्यर्थी वेबसाइट www.nfc.gov.in से आवेदनपत्र डाउनलोड करें और उसमें काली/नीली स्याही वाले पेन या टाइपराइटर द्वारा A4 आकार के कागज पर विवरण साफ अक्षरों से भर दें। विधिवत भरे हुए आवेदन एक लिफाफे में डालें और उस लिफाफे के ऊपर "वैज्ञानिक अधिकारी 'सी' (मेडिकल-जनरल ड्यूटी) पद के लिए आवेदन, पद कूट: 11701, विज्ञापन सं.एनएफसी/01/2017" लिखें।

2. आवेदन के दाहिने कोने के ऊपर हाल ही में ली हुई पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ चिपकाएँ।

3. अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने होंगे :

(क) शैक्षणिक अर्हकता के संबंध में दसवीं कक्षा से आरंभ करते हुए प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ और समुचित अंक विवरणिका।

(ख) अनुभव प्रमाण-पत्र जिसमें अनुभव का क्षेत्र स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो।

(ग) जन्मतिथि (जन्मतिथि प्रमाणपत्र या माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र) के समर्थन में प्रमाणपत्र की प्रति।

(घ) अ.जा./अ.ज.जा. का दावा यदि किया गया है तो इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र।

(ङ) शारीरिक विकलांगता के मामले में उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विकलांगता प्रमाणपत्र की प्रति जिसमें शारीरिक विकलांगता के प्रकार व प्रतिशतता का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।

(च) भूतपूर्व सैनिक सेवा के संबंध में सेवामुक्ति प्रमाण-पत्र की प्रति ।

(छ) केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत अभ्यथियों को उनके कार्यालय को सूचित करने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। हालांकि साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को उनके वर्तमान नियोजक द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ज) अभ्यर्थी के 1984 के दंगों से प्रभावित होने का प्रमाण (यदि आयु में छूट प्राप्त करनी हो तो)।

(झ) दिनांक 01.01.1980 से 31.12.1989 तक कश्मीर संभाग का निवासी होने का प्रमाण (यदि कश्मीर संभाग के लिए आयु में छूट प्राप्त करना है तो)

टिप्प्णी : यथा लागू उपर्युक्त उल्लिखित प्रमाणपत्रों की प्रतियों को आवेदन के साथ स्टैपल या धागे के साथ नत्थी कर दिया जाए।

4. निर्धारित प्रोफार्मा में वांछित कागजातों के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र लिफाफे में डालकर, लिफाफे के ऊपर **"वैज्ञानिक अधिकारी 'सी' (मेडिकल-जनरल ड्यूटी) पद के लिए आवेदन", पद कूट : 11701, विज्ञापन सं.एनएफसी/01/2017"** लिखें और प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती-1, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, ईसीआईएल डाक, हैदराबाद-500062 को भेज दें जो दिनांक 12/01/2018 को 16.45 बजे तक प्राप्त हो जाए। इस तिथि के बाद किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा और आवेदन पत्र प्राप्त होने में हुई देरी के लिए नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र जवाबदेह नहीं होगा।

5. कृपया नोट करें :

(क) अस्पष्ट, अधूरे, बिना हस्ताक्षर वाले, निर्धारित प्रारूप में न होने पर, अभ्यर्थी का फोटो संलग्न न होने पर, प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न न होने पर और जो आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होते हैं तो ऐसे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि आवेदन और लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का उल्लेख नहीं है तो ऐसे आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ख) अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें।

(ग) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में भरे गए विवरण को अंतिम माना जाएगा एवं आवेदन पर आगे की कार्रवाई उसी विवरण के आधार की जाएगी। आवेदन पत्र में भरी गई गलत सूचना या अधूरी सूचना के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

(घ) आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के पहले अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त पद के लिए वे पात्र हैं। आवेदन-पत्र का कोई भी संबंधित कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

(ङ) केवल मानदंड पूरा कर लेने मात्र से अभ्यर्थी को साक्षात्कार/लिखित परीक्षा में बुलाए जाने का अधिकार नहीं होगा।

(च) सूची तैयार करने की तिथि से 6 माह की अवधि के बाद अचयनित अभ्यथियों का रिकार्ड संरक्षित नहीं रखा जाएगा।

विज्ञापन रोजगार समाचार पत्र में दिनांक 23/12/2017 को तथा राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 24/12/2017 को प्रकाशित किया गया है।
आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 12/01/2018 को 16.45 बजे तक है। **इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**
किसी भी रूप में सिफारिश को अयोग्यता समझा जाएगा।
"इस अधिसूचना के कारण यदि कोई कानूनी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका न्यायिक क्षेत्र केवल हैदराबाद होगा" और किसी विवाद के मामले में वेबसाइट www.nfc.gov.in **पर डाले गए विज्ञापन एवं अधिसूचना के अंग्रेजी पाठ का संदर्भ लिया जाएगा।**